

सम्पति अन्तरण दस्तावेज (तबदील मलकियत)

हरियाणा सरकार गजट अधिसूचना 16 जून 2014 के अनुसार स्टाम्प शूल्क से मुक्त ।

..... का/की हूं जो कि एक  
प्लॉट/मकान/ दुकान न0 ..... रकबा..... वर्ग गज जिसकी सीमा व  
पैमाईश निम्न प्रकार से है:-

पूर्व:- ..... फुट..... इंच..... पश्चिम:- ..... फुट..... इंच.....

उत्तर:- ..... फुट..... इंच..... दक्षिण:- ..... फुट..... इंच.....

स्थित किला/खसरा नं0.....

..... कालौनी..... अन्दरून नगर पालिका/नगर निगम .....

मेरी/हमारी अपनी बरूवे रजिस्ट्री न0..... तिथि ..... सब रजिस्ट्रार..... खरीद  
अनुसार बरूवे इन्तकाल नं0 ..... व अनुसार जमाबन्दी वर्ष ..... भार रहित मलकियत  
है । जो हर प्रकार के भार से पाक व साफ है । जिस पर मैंने कोई भी कर्ज सरकारी अर्ध सरकारी या गैर  
सरकारी बैंक या संस्था किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों से नहीं लिया हुआ है भार मुक्त है । मेरे .....

..... को उपरोक्त  
लिखित प्लॉट/मकान/दुकान तमाम मालकान अधिकारी सहित जो मुझे प्लॉट/मकान/दुकान संबंधित  
प्राप्त है । अंतरण (तबदील) करना चाहते/चाहती हूं । क्योंकि प्लॉट/मकान/दुकान मजकूर के अंतरण  
(तबदील) का मुझे पुरा अधिकार हासिल है । अतः मैं अपने होशो हवास खुद रजामन्दी बिना किसी के  
सिखाये बहकाये उपरोक्त प्लॉट/मकान/दुकान अर्थात जो भी प्लॉट/मकान/दुकान उपरोक्त लिखित में  
मुझे बतौर मालिक हक हासिल है, के सभी अधिकार बिना प्रतिफल के बिना कोई धन राशि अर्जित किये  
अपने..... को अंतरण  
(तबदील) कर दिया है । आज के बाद अंतरण शुदा प्लॉट/मकान/दुकान से मेरा या मेरे किसी भी  
उतराधिकारी का कोई ताल्लूक वास्ता नहीं रहा है । अंतरण (तबदील) शुदा प्लॉट/मकान/दुकान मे किसी  
प्रकार का कोई नुक्स या हर्ज पाया जावे या किसी कानूनी या वाकयाति त्रुटि के कारण अंतरण प्राप्तकर्ता  
के स्वामित्व से निकल जावे तो उसका मैं स्वयं जिम्मेवार हुंगा । इस प्रकार अंतरण ग्रहणकर्ता  
प्लॉट/मकान/दुकान उपरोक्त लिखित का पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी हो गया है । जिसे वह जिस तौर  
से चाहे इस्तेमाल कर सकेगा । उसे आगे अंतरण (तबदील) करने का भी उसे पूर्ण अधिकार हासिल होगा ।  
कब्जा मौका पर अंतरण प्राप्तकर्ता का मालकाना असल में करा दिया है । नगर निगम / नगर पालिका के  
रिकार्ड मे अंतरण शुदा प्लॉट/मकान/दुकान ग्रहणकर्ता के नाम तबदील किये जाने मे मुझ/हमें कोई भी  
आपत्ति नहीं होगी । अतः यह अंतरण लेख (तबदील मलकियत) नियमानुसार निष्पादित कर दी है ताकि  
प्रमाण रहे । जिस पढ़ सुन व समझ कर मैंने अपने हस्ताक्षर/अंगुठा किये है । आज .....

दिनांक .....

गवाह

गवाह<sup>c</sup>

अंतरण कर्ता

प्राप्तकर्ता